A/o 6

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.-एचआरएम-I/ए-11(3)2026/एसीसी/1028 दिनांक:- 07.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अपर कें. आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर कें. आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु 30.10.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., श्री अमित वशिष्ठ, तदर्थ अपर कें. आयुक्त को पैनल वर्ष 2026 के लिए नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अपर कें. आयुक्त के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

2. नियमित पदोन्नति पर, अधिकारी वर्तमान तैनाती स्थल पर बने रहेंगे। नियमित पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3. अधिकारी की वरिष्ठता कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ (वरिष्ठता निर्धारण) विनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार अपर कें. आयुक्त के संवर्ग में विनियमित की जाएगी।
4. वेतन निर्धारण के संबंध में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा -

"ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी अंतराल के नियमित नियुक्ति होती है, यह विकल्प प्रारम्भिक नियुक्ति या पदोन्नति की तिथि से स्वीकार्य होगा, जिसका प्रयोग ऐसी नियमित नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।"

5. नियमित आधार पर अपर कें. आयुक्त के रूप में अधिकारी की जॉइनिंग रिपोर्ट ई-मेल rc1.hrm@epfindia.gov.in पर मा. सं. प्र., मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक़

(मौहम्मद शारिक़)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I/(मा.स.प्र.-I)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रति : (क.भ.नि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष (केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क. भ. नि.) के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./ सभी अ. कें. आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. मुख्या. और अंचल के सभी अ. कें.भ.नि. आ./ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि. आयुक्त (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्रशा.), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि. आयुक्त(एनडीसी) के प्रभारी।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आं.प्र.सं. के क्षे.भ.नि. आयुक्त।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइलें।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फ़ाइल।

शारिक़

(मोहम्मद शारिक़)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I/(मा.स.प्र.-I)

सत्यमेव जयते

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं.-एचआरएम-I/ए-11(3)2026/एसीसी/1029 दिनांक:- 07.04.2026

कार्यालय आदेश

विषय: तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अपर कें. आयुक्त के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

अपर कें. आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु 30.10.2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., **श्रीमती स्वागता राय**, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I को पैनल वर्ष 2026 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13ए में अपर कें. आयुक्त के पद पर नियुक्ति को सहर्ष अनुमोदित करते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी को मुख्यालय में तैनात किया जाता है। तदर्थ पदोन्नति, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी।
3. पदोन्नति सीलबंद लिफाफे में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर तदर्थ रूप में की जाएगी, जब तक कि सीलबंद लिफाफे के मामलों को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जाती हैं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी, जिसकी संस्तुति सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है तथा अधिकारी को पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो, तथा सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा, यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है।
4. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति या वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त होगा।
5. तदर्थ आधार पर अपर कें. आयुक्त के रूप में अधिकारी की जॉइनिंग रिपोर्ट ई-मेल rc1.hrm@epfindia.gov.in पर मा. सं. प्र., मुख्यालय को भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अद्यतन किया जाएगा।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शारिक़

(मौहम्मद शारिक़)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I/(मा.स.प्र.-I)

सेवा में,

संबंधित अधिकारी

प्रति : (क.भ.नि.स. की वेबसाइट के माध्यम से)

1. माननीय अध्यक्ष (केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क. भ. नि.) के निजी सचिव।
2. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।
3. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
4. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./ सभी अ. कें. आ. (मुख्या.)/ निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव।
5. मुख्या. और अंचल के सभी अ. कें.भ.नि. आ./ मुख्य अभियंता।
6. सभी क्षे.भ.नि. आयुक्त (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्रशा.), मुख्यालय/ क्षे.भ.नि. आयुक्त (एनडीसी) के प्रभारी।
7. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
8. सभी उप. निदेशक (सतर्कता)/ आंचलिक लेखा परीक्षा दल/ आं.प्र.सं. के क्षे.भ.नि. आयुक्त।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।
10. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइलें।
11. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फ़ाइल।

शारिक़

(मोहम्मद शारिक़)
क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-I/(मा.स.प्र.-I)